न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–27/2017/टोंक (2016/00102)

1. प्रदीप पुत्र घासीराम तेली, निवासी, गनवर, तहसील मालपुरा हाल निवासी घूघरा घाटी जयपुर रोड़, भैरूजी के मंदिर के सामने, अजमेर ।
2. राजूदेवी पुत्री घासीलाल तेली, निवासी गनवर, तह0 मालपुरा, हाल निवासी मसूदा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. ग्यारसी देवी पत्नि घासीलाल तेली, निवासी गनवर तहसील मालपुरा, हाल निवासी घूघरा घाटी, जयपुर रोड़, भैरूजी के मंदिर के सामने, अजमेर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामअवतार पुत्र घासीलाल तेली, निवासी गनवर, तह0 मालपुरा, जिला टोंक
2. रामबाबू पुत्र घासीलाल तेली, निवासी गनवर, तह0 मालपुरा, जिला टोंक।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू0अ0) मालपुरा, जिला टोंक दिनांक 3.3.2017 .

उपस्थितः–

1. श्री अजीत लोढ़ा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री सुनिल गर्ग, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांक :– 25.1.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार (भू0अ0) मालपुरा, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 3.3.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रदीप पुत्र घासीलाल तेली, निवासी गनवर हाल निवासी अजमेर ने एक प्रार्थना पत्र लोक अदालत मु0 गनवर में दिनांक 20.6.2016 को उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है । प्रार्थी के एक मां, एक बहिन व तीन भाई है । अतः नामांतकरण खोला जावे । उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने प्रार्थी का उक्त

मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार, मालपुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि तहसीलदार मजमे आम में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे ।

2- इसी प्रकार विपक्षी रामअवतार व रामबाबू पुत्र घासीलाल तेली, निवासी गनवर की ओर से रामअवतार साहु ने दिनांक 5.8.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घासीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण तेली की मृत्यु दिनांक 14.6.2015 को हो चुकी है । मृतक ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 21.5.2015 को पंजीबद्ध करवाया था, वसीयतनामा के अनुसार वसीयतग्रहिता रामअवतार, रामबाबू पुत्र घासीलाल तेली के नाम विरासत का नामांतकरण खोला जावे ।

3- इसी प्रकार एक प्रार्थना पत्र राजूदेवी पुत्री घासीलाल तेली ने उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष दिनांक 4.8.2016 को प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने मूल ही तहसीलदार को प्रेषित कर निर्देश दिये कि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे । चूंकि प्रकरण में एक वाद भी प्रस्तुत हुआ है अतः नामांतकरण की कार्यवाही धारा 135 (2) के तहत दर्ज की की जावे । तहसीलदार, मालपुरा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 3.3.2017 को निर्णय पारित किया जिसके अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को स्व0 घासीलाल के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर खाता संख्या 134 के रकबा 23–04 बीघा में प्रदत्त 11/25 व खाता संख्या 298 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 11/100 हिस्सा प्रदान किया गया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

4- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

5- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह माना है कि विवादित भूमि ग्राम गनवर तहसील मालपुरा मृतक खातेदार घासीलाल के पिता लक्ष्मीनारायण तेली के स्वामित्व की भूमि थी। खातेदार लक्ष्मीनारायण की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र घासीलाल व चार पुत्रियों नन्दू, घीसी, धापू व मन्ना को बराबर हिस्से से प्राप्त हुई थी । मृतक घासीलाल की चारो बहिनों ने अपने–अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग अपने भाई घासीलाल के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग के कर दिया था, जिससे संपूर्ण हिस्सा घासीलाल पुत्र लक्ष्मीनाराण तेली के नाम दर्ज हो गया । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि मृतक खातेदार घासीलाल के दो पत्निया थी जिनमें प्रथम पत्नि गीतादेवी (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 रामअवतार एवं रामबाबू हुए तथा दूसरी पत्नि ग्यारसी देवी से एक पुत्र प्रदीप व पुत्री राजूदेवी उत्पन्न हुए है । इस प्रकार मृतक खातेदार के वर्तमान में कुल पांच वारिस मौजूद है इसके बावजूद मृतक खातेदार ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक वसीयत उप पंजीयक कार्यालय, मालपुरा में पंजीबद्ध कराई जिसमें यह

अंकित किया कि ग्राम गनवर में उसके स्वंय के हक हिस्से की तथा चारों बहिनों से हकत्याग से मिली हुई आराजियात स्थित है जिसका वह खातेदार है एवं बहिनों के द्वारा किये गये हकत्याग से प्राप्त हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दोनों पुत्रों रामअवतार व रामबाबू के पक्ष में आधे–आधे हिस्से की करता हूं। घासीलाल को अपनी बहिनों से प्राप्त हिस्से की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को वसीयत करने का विधिक अधिकार नहीं था। अधी0न्याया0 ने बहिनों द्वारा किये गये हक त्याग से प्राप्त भूमि को स्वअर्जित मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। xx

6- विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट्स द्वारा घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है, इसलिये अधी0न्याया0 को विवादित भूमि के संबंध में वाद के विचाराधीन रहते समरी कार्यवाही किसी भी पक्षकार के पक्ष में नहीं करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत को सिविल न्यायालय से सिद्ध करवानी चाहिये थी जो नहीं की गई है, तहसीलदार को वसीयत की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार नहीं है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तथाकथित वसीयत को महत्व देकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात में अपीलांट्स एवं रेस्पो0 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा था इसके बावजूद अधी0न्याय0 ने रेस्पो0 को अपीलांट्स से ज्यादा हक व हिस्सा दिये जाने के आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2017 इस हद तक निरस्त किया जावे कि " विपक्षी संख्या 1 व 2 को स्व0 घासीलाल के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर खाता संख्या 134 के खसरा नंबर 317/2, 318, 321, 325, 335 एव 344 कुल रकबा 23–04 बीघा में प्रदत्त 11/25 व खाता संख्या 298 खसरा नंबर 336 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में प्रदत्त 11/100 हिस्सा प्रदान किया गया है, उस हद तक निरस्त किया जावे । अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2002 आर0आर0टी0 पेज 77 (राज0उच्च न्याया0), 1985 आर0आर0डी0 पेज 170 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये । xx

7- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । मृतक खातेदार ने बहिनों द्वारा हक त्याग किये जाने पर प्राप्त भूमि मृतक खातेदार की स्वअर्जित भूमि थी जिसे वसीयत करने का खातेदार को पूर्ण विधिक अधिकार था । यदि अपीलांट्स वसीयत को संदेहास्पद मानते है तो उन्हें पंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए

कथन किया कि पिता से मिली सम्पति ही पैतृक होती है, किसी अन्य से मिली सम्पति पैतृक नहीं होती है । मृतक खातेदार को बहिनों द्वारा हक त्याग किये जाने पर मिली सम्पति स्वअर्जित मानी जावेगी तथा उक्त सम्पति को घासीलाल विक्रय, रहन, दान, बक्शीश करने का स्वतंत्र था । मृतक खातेदार ने इसीलिये 1/5 हिस्से की भूमि, जो पैतृक थी, को छोड़ते हुए शेष भूमि की पंजीकृत वसीयत रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित की है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट्स ने दावे में 1/5 हिस्से में ही हिस्सा मांगा था ना कि 4/5 हिस्से में जो मृतक खातेदार को हक त्याग से प्राप्त हुई थी । हक त्याग भी अंतरण की श्रेणी में आता है । बहिनों द्वारा किये गये हक त्याग से प्राप्त भूमि स्वअर्जित की श्रेणी में आती है । विद्वान अधी0न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे।

8- प्रकरण में जवाब उल जवाब में विद्वान वकील अपीलांट्स ने कथन किया कि दावे के विचाराधीन रहते तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे ।

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 ने मृतक घासीलाल के पक्ष में उसकी बहिनों नन्दू, घीसी, धापू एवं मन्ना पुत्रियां लक्ष्मीनारायण द्वारा किये गये हक त्याग से प्राप्त भूमि को मृतक घासीलाल द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में की गई वसीयत को वैध मानकर अपीलाधीन निर्णय 3.3. 2017 द्वारा ग्राम गनवर के खाता संख्या 134 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि का नामांतकरण रामअवतार पुत्र घासीलाल के नाम 11/25, रामबाबू पुत्र घासीलाल के नाम 11/25, ग्यारसीदेवी पत्नि घासीलाल के नाम 1/25, प्रदीप पुत्र घासीलाल के नाम 1/25 एवं राजूदेवी पुत्री घासीलाल के नाम 1/25 अनुसार तथा खाता संख्या 298 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में रामअवतार पुत्र घासीलाल के 11/100, रामबाबू पुत्र घासीलाल के नाम 11/100, ग्यारसी पत्नि घासीलाल के नाम 1/100 एवं प्रदीप पुत्र घासीलाल के नाम 1/100 एवं राजूदेवी पुत्री घासीलाल के नाम 1/100 हिस्से अनुसार नामांतरकरण पारित करने के आदेश पारित किये है।

10- प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि मृतक घासीलाल को चार बहिनों से प्राप्त आराजियात स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजियात ही मानी जावेगी तथा विवादित आराजियात पैतृक होने से मृतक घासीलाल को वसीयत करने का अधिकार नहीं था । अपीलांट्स का दौराने बहस यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 को नामांतकरण की कार्यवाही को लंबित रखना चाहिये था । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष

यह तथ्य उजागर किया था कि रेस्पो0 श्रीमती ग्यारसीदेवी एवं राजू द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है तथा उक्त वाद में तहसीलदार, मालपुरा भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है एवं रेस्पोडेंटस ने इसका खण्डन नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने मात्र इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन वाद में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया हुआ है ।

11- यद्यपि नामांतकरण एक सरसरी कार्यवाही है और स्वत्व अथवा अधिकार प्रदान नहीं करता तथा किसी सम्पति के अधिकार बाबत् न्यायालय में वाद लंबित होना नामांतकरण की कार्यवाही को लंबित करने का आधार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन वाद में विस्तृत विवेचन के पश्चात् अधिकार व स्वत्व की घोषणा सक्षम न्यायालय द्वारा की जावेगी । चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य घोषणात्मक वाद विचाराधीन होना प्रकट था ऐसी स्थिति में न्यायहित में अधी0न्याया0 को विवादित आराजियात के संबंध में नामांतकरण की कार्यवाही को लंबित रखना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ऐसा न कर त्रुटि कारित की गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में नामांतकरण तस्दीक किये जाने की स्थिति में हम न्यायहित में नामांतकरण को विवादित करार दिया जाना न्यायोचित समझते है ताकि विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य ओर अधिक विवाद उत्पन्न न हो । अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण में चस्पा होते है । उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 के निर्णय को हम उचित नहीं मानते है । फलतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू0अ0), मालपुरा द्वारा पारित निर्णय की पालना में स्वीकृत नामांतकरण को उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन घोषणात्मक वाद के निर्णय तक राजस्व अभिलेख में विवादित करार दिया जाना उचित समझते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 27/2017 (2016/00102) बउनवानी प्रदीप बनाम रामअवतार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार (भू0अ0), मालपुरा के निर्णय दिनांक 3.3.2017 की पालना में यदि नामांतकरण तस्दीक किया जा चुका है तो उक्त नामांतकरण को उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक विवादित करार दिया जाता है । यदि निर्णय दिनांक 3.3.2017 की पालना नहीं हुई हो तो निर्णय दिनांक 3.3.2017 की पालना स्थगित रखते हुए पूर्व राजस्व अभिलेख में भी वाद के निर्णय तक उक्तानुसार विवादित करार का नोट अंकित करे । अपीलाधीन निर्णय से निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू0अ0) मालपुरा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि यदि

निर्णय दिनांक 3.3.2017 की पालना में नामांतकरण स्वीकृत किया जा चुका हो तो उक्त नामांतकरण में विवादित होने का नोट राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकित करे तथा निर्णय दिनांक 3.3.2017 की पालना नहीं होने की स्थिति में पूर्व राजस्व अभिलेख में वाद के निर्णय तक उक्तानुसार विवादित करार का नोट अंकित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 25.1.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर